146 नवरत्न और मिनीरत्न उद्यमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा – नवरत्न और मिनी रत्न की हैसियत प्रदान करना/वापिस लेना

उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में नवरत्न और मिनी रत्न केन्द्रीय लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन के मामले अर्थात यथास्थिति उनकी हैसियत को वापिस लेना या नए उद्यमों को नवरत्न/मिनी रत्न हैसियत प्रदान करने की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था।

2. परिणामस्वरूप सरकार ने मामले की समीक्षा की है। अब यह निर्णय लिया गया है कि अब से नवरत्न और मिनी रत्न उद्यमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा और यथा स्थिति उनकी नवरत्न या मिनी रत्न हैसियत को वापिस लेने या ये हैसियत प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित तरीके से निर्णय लिया जायगा।

(i) नवरत्न उद्यमों के मामले में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति और मिनी रत्न उद्यमों के मामले में लोक उद्यम विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली अंतर–मंत्रालयीन समिति इन कंपनियों के कार्य निष्पादन की नियमित समीक्षा करेगी।

(ii) ऊपर उल्लिखित संबंधित समितियों द्वारा नवरत्न/मिनी रत्न हैसियत को बनाए रखने के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में विस्तुत समीक्षा की जायेगी। शीर्ष समिति इस समीक्षा के लिए प्रारूप निर्धारित करेगी।

(iii) शीर्ष समिति प्रत्येक तीन वर्ष में नवरत्न/मिनी रत्न स्कीमों के कार्यों की समीक्षा करेगी और भविष्य में इन उद्यमों को और अधिक स्वायत्ता के प्रत्यायोजन के संबंध में सिफारिशें करेंगी।

(iv) शीर्ष समिति यदि नवरत्न हैसियत वापिस लेने के संबंध में सिफारिश करती है तो ये सिफारिशें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के माध्यम से अनुमोदन के लिए मंत्री (भारी उद्योग एवं लोक उद्यम) के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। यदि इस पर सहमति नहीं बनती है तो इस मामले को मंत्रीमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) मिनीरत्न दर्जा वापिस लेने की सिफारिश पर केवल संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय कार्यवाई करेगा।

(vi) किसी केन्द्रीय लोक उद्यम को नवरत्न हैसियत प्रदान करने की सिफारिश सामान्य तौर पर मंत्रीमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाएगी। शीर्ष समिति की सिफारिशों के आधार पर इन सिफारिशों को भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। लेकिन जैसा कि उपर्युक्त (iv) में उल्लेख किया गया है, असहमति की स्थिति में मामले को मंत्रीमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

3. प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले उद्यमों की जानकारी में सरकार निर्णयों की विषय वस्तु को उचित तरीके से लाएं।

(लो.उ.वि. का.ज्ञा.सं. लो.उ.वि./4(8)/2000– वित्त जी एल–XXXXIX, दिनांकः 11 जून, 2001)